राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/अन्य बिल/13926-14126 दिनांक 2-8-2013

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– **राजकीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राजकीय भुगतानों में पारदर्शिता लाने व इन्हें त्वरित गति से सम्पादित करने के उद्देश्य से दिनांक 1.4.2012 से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली लागू की गई जिसके माध्यम से समस्त राज्य कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं, सप्लायर्स, फर्मो, तृतीय पक्षकारों एवं राजकीय योजनाओं के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में भी बैंक खातों की सत्यता निर्धारित किए जाने के बाद ही सिस्टम में इन्द्राज किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे परन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर या तो गलत खाता संख्या का इन्द्राज कर दिया जाता है या बार बार खाता संख्या परिवर्तित किया जाता है।

राज्य कर्मचारियों के एक बार सिस्टम में इन्द्राज किए गए बैंक खाते आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर परिवर्तन या संशोधन योग्य नहीं है इसी क्रम में तृतीय पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों हेतु निम्न कार्रवाई किए जाने के लिए आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करें :–

1. किसी भी तृतीय पक्षकार को प्रथम बार किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान हेतु संबंधित पक्षकार के बैंक खातें की पासबुक की आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति बिल की हार्ड प्रति के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. तृतीय पक्षकार को ऑनलाइन भुगतान हेतु आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा पे–मैनेजर पर एक बार संबंधित तृतीय पक्षकार का मास्टर डेटा तैयार किए जाने के पश्चात उसे फ्रीज कर दिया जायेगा आहरण–वितरण अधिकारी स्तर पर उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नही होगा।
3. तृतीय पक्षकार के मास्टर डेटा में किसी भी प्रकार का संशोधन कोषाधिकारी स्तर पर ही किया जा सकेगा। इस हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा लिखित में तृतीय पक्षकार के नये बैंक खातें की पासबुक की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करते हुए कोषाधिकारी को अनुरोध किया जायेगा।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव वित्त (बजट)

लेखा

I. D. No. 79 /PS/COB/Ok
Dated 2-9-13

2/9/13

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/अन्य बिल/ 13925-14126 दिनांक 2-8-2013
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, समस्त
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग को इसे वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 25 (2) पीए/लेखा/2013 /231 दिनांक 04.9.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

मुख्य लेखाधिकारी

College Education Department, Jaipur